



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19122025-268644
CG-MH-E-19122025-268644

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5682]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2025/अग्रहायण 27, 1947

No. 5682]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2025/AGRAHAYANA 27, 1947

रेलवे मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 16 दिसम्बर, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20A के तहत

का. आ. 5878(अ)—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है “नागपुर मंडल के नागपुर - इटारसी और नागपुर - बल्लारशाह अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बदले आरओबी और आरयूबी (7 संख्या) प्रस्तावित निर्माण” परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेतुल, तहसील बेतुल, जिला बैतुल को लिखित रूप में किया और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेल परियोजना के लिए संरचना सहित या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण, अर्थात्: “नागपुर मंडल के नागपुर - इटारसी और नागपुर - बल्लारशाह अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बदले आरओबी और आरयूबी (7 संख्या) प्रस्तावित निर्माण”, मध्य प्रदेश राज्य में परियोजना।

समपार फाटक संख्या 259 (इटारसी-अमला खंड के बीच)

क्रम संख्या	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव संख्या	गाँव	तहसील	खसरा अर्क के अनुसार भूमि मालिकों का नाम	सुर्वेक्षण / भूखंड संख्या	भूमि धारण विधि	कुल क्षेत्रफल खसरा के अनुसार (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्रफल (हे.आर.)
जिला : बैतूल								
1.		भैरवदेही	बैतूल	लालूसिंह पिता पन्नालाल,	92 अंश भाग		0.8900	0.0458
2.				लालूसिंह पिता पन्नालाल,	95 अंश भाग		0.8090	0.1115
3.				लालूसिंह पिता पन्नालाल,	96/1 अंश भाग		0.1010	0.1010
4.				लालूसिंह पिता पन्नालाल,	97 अंश भाग		0.2590	0.0026
5.				कपिल दत्तक जगदीश	98/1 अंश भाग		1.2140	0.0175
6.				गुलाबसिंह पिता शंकरसिंह	98/2 अंश भाग		0.2020	0.0211
7.				दयंती पति कल्लूसिंह, मालती पति लल्लूसिंह	140/1 अंश भाग		0.3330	0.0540
8.				पशुपतिनाथ पिता मानिकराव	142/1/1 अंश भाग		1.7600	0.0358
9.				पशुपतिनाथ पिता मानिकराव	142/1/2 अंश भाग		0.2020	0.0390
10.				द्वारका पति नंदकिशोर	142/3 अंश भाग		1.0280	0.0172
कुल							6.7980 (हे.आर.)	0.4455 (हे.आर.)

क्रम संख्या	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव संख्या	गाँव	तहसील	खसरा अर्क के अनुसार भूमि मालिकों का नाम	सुर्वेक्षण / भूखंड संख्या	भूमि धारण विधि	कुल क्षेत्रफल खसरा के अनुसार (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्रफल (हे.आर.)
1.		बुण्डाला	बैतूल	रमा पिता भददू, इमरत पिता भददू, प्रभु पिता भददू, मुन्नासिंह पिता भददू, श्यामवती पिता भददू, लीलाबाई पिता भददू, मोनू पिता बालकराम, संध्या पति मुन्ना, अमनसिंहनबा पिता वली माँ संध्या, तरुणसिंह पिता वली माँ संध्या	1 अंश भाग		3.2740	0.0222
2.				रमाबाई विधवा सीताराम, रमेशकुमार पिता नोखेलाल, कंचना विधवा भरतलाल, चेतना पिता भरतलाल, पलक पिता भरतलाल, रितिका पिता भरतलाल, नैसी पिता भरतलाल, लतेश पिता रूपलाल	2/1 अंश भाग		1.4750	0.0901
कुल							4.749 (हे.आर.)	0.1123 (हे.आर.)
1.		केलापुर	बैतूल	रामाधार पिता मिसरू, श्यामधर पिता मिसरू,	88/2 अंश भाग		0.2510	0.0010
2.				जगन्नाथ पिता रतन	88/3 अंश भाग		0.4050	0.0010
3.				रतन पिता छोटेलााल	93/1 अंश भाग		1.0890	0.0541
4.				रतन पिता छोटेलााल	93/2 अंश भाग		0.6070	0.0761
5.				जगन्नाथ पिता रतन	95/1 अंश भाग		0.2990	0.0381
6.				रतन पिता छोटेलााल	135/1 अंश भाग		0.9800	0.3293
7.				गजराजसिंह पिता रामकिशोर	136/1 अंश भाग		1.8530	0.0924
8.				गजराजसिंह पिता रामकिशोर	136/2 अंश भाग		0.3580	0.0101
9.				लालाराम पिता गंगाराम	136/3 अंश भाग		0.4050	0.0176

क्रम संख्या	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव संख्या	गाँव	तहसील	खसरा अर्क के अनुसार भूमि मालिकों का नाम	सुर्वेक्षण / भूखंड संख्या	भूमि धारण विधि	कुल क्षेत्रफल खसरा के अनुसार (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्रफल (हे.आर.)
10.				गणेशी विधवा नान्हू	137/1 अंश भाग		0.6660	0.0059
11.				कुबेरसिंह पिता जसवंतसिंह रघुवंशी	137/2 अंश भाग		0.6660	0.0078
कुल							7.5790 (हे.आर.)	0.6334 (हे.आर.)
कुल योग							19.126 (हे.आर.)	1.1912 (हे.आर.)

[फा.सं. G197/ROB & RUB NGP Div/Bhainsdehi+2 Vlg/LC 259/RSP/20A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th December, 2025

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 5878(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20 (A) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, **“Proposed construction of ROB and RUB (7 Nos) in lieu of level crossing Gates between Nagpur - Itarsi & Nagpur - Ballarshah section of Nagpur Division”** hereby declares its intention to acquired such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Sub-Divisional Officer (Revenue) Betul, Tehsil Betul, District Betul** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:
 “Proposed construction of ROB and RUB (7 Nos) in lieu of level crossing Gates between Nagpur - Itarsi & Nagpur - Ballarshah section of Nagpur Division”, Project in the state of Madhya Pradesh.

Level Crossing No. 259 (Between Itarsi-Amla section)

Sr. No.	Land Acquisition Proposal No.	Village	Tehsil	Land Owners Name according to Khasara Extracts	Khasara No.	Land Holding Method	Total area as per Khasara (in Ha.)	Acquisition Area (in Ha.)
DISTRICT: BETUL								
1.		BHAINSDEHI	BETUL	Lalusingh Father Pannalal,	92 Part		0.8900	0.0458
2.				Lalusingh Father Pannalal,	95 Part		0.8090	0.1115
3.				Lalusingh Father Pannalal,	96/1 Part		0.1010	0.1010
4.				Lalusingh Father Pannalal,	97 Part		0.2590	0.0026
5.				Kapil Dattak Jagdish	98/1 Part		1.2140	0.0175
6.				Gulabsingh Father Shankarsingh	98/2 Part		0.2020	0.0211
7.				Dayanti Husband Kallusingh, Malti Husband Lallusingh	140/1 Part		0.3330	0.0540
8.				Pashupatinath Father Manikrao	142/1/1 Part		1.7600	0.0358
9.				Pashupatinath Father Manikrao	142/1/2 Part		0.2020	0.0390
10.				Dwarka Husband Nandkishor	142/3 Part		1.0280	0.0172
Total							6.7980 (Ha.)	0.4455 (Ha.)
1		BUNDALA	BETUL	Rama Father Bhaddu, Immrat Father Bhaddu, Prabhu Father Bhaddu, Munnasingh Father Bhaddu,Shyamvati Father Bhaddu, Leelabai Father Bhaddu, Monu Father Balakram, Sandhya Husband Munna, Amansinghnaba Father Wali ma Sandhya, Tarunsingh Father Wali ma Sandhya,	1 Part		3.2740	0.0222
2.				Ramabai Widow Sitaram, Rameshkumar Father Nokhelal, Kanchana Widow Bharatlal, Chetna Father Bharatlal, Palak Father Bharatlal, Ritika Father Bharatlal, Nancy Father Bharatlal, Latesh Father Ruplal,	2/1 Part		1.4750	0.0901
Total							4.749 (Ha.)	0.1123 (Ha.)

Sr. No.	Land Acquisition Proposal No.	Village	Tehsil	Land Owners Name according to Khasara Extracts	Khasara No.	Land Holding Method	Total area as per Khasara (in Ha.)	Acquisition Area (in Ha.)
1		KELAPUR	BETUL	Ramadhar father Misru, Shyamadhar father Misru,	88/2 Part		0.2510	0.0010
2.				Jagannath Father Ratan	88/3 Part		0.4050	0.0010
3.				Ratan Father Chotelal	93/1 Part		1.0890	0.0541
4.				Ratan Father Chotelal	93/2 Part		0.6070	0.0761
5.				Jagannath Father Ratan	95/1 Part.		0.2990	0.0381
6.				Ratan Father Chotelal	135/1 Part		0.9800	0.3293
7.				Gajrajsingh Father Ramkishor	136/1 Part		1.8530	0.0924
8.				Gajrajsingh Father Ramkishor	136/2 Part		0.3580	0.0101
9.				Lalaram Father Gangaram	136/3 Part		0.4050	0.0176
10.				Ganeshi Widow Nanhu	137/1 Part		0.6660	0.0059
11.				Kubersingh Father Jaswantsingh Raghuwanshi	137/2 Part		0.6660	0.0078
Total							7.5790 (Ha.)	0.6334 (Ha.)
Grand Total							19.126 (Ha.)	1.1912 (Ha.)

[F. No. G197/ROB & RUB NGP Div/Bhainsdehi+2 Vlg/LC 259/RSP/20A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)